[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

मैं इस वक्त ज्यादा न कहते हुए श्री मोतीलाल जी नेहरू का एक कोटेशन यहां पढ़ कर सुना देना चाहता हूं जो कि उन्होंने अपने बेटे के बारे में कहा था। यह श्री मोहनलाल जी ने अपनी किताब में लिखा है। वह इस प्रकार है : (**अन्तर्बाधाएं**)

जो पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने पुत्र के बारे में श्री मोहनलाल सक्सेना से कहा है मैं उसका उद्धरण दे रहा हूं। मैं प्रधान मंत्री को संसदीय व्यवस्था के बारे में याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है :—

> "वह बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वे दूसरों को अपनी तरह समझते हैं। मोहनलाल याद रखिये लोग उसका अनुचित लाभ उठायेंगे। वह प्रायः धोखा खाएगा।" थोड़ी देर रुक कर उन्होंने कहा "परन्तु वह दोषी नहीं है। उन्होंने जीवन के दुखों को नहीं देखा है"।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् चार दिन से यह वाद-विवाद चल रहा है और मैं समझता हूं कि ४० सदस्य बोल चुके हैं ; मैं इकतालीसवां हूं।

अलग अलग शब्दों में विभिन्न विरोधी दलों के इस संगठन की बात सुनना एक अजीब सा अनुभव हैं। अभी-अभी हमने मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि का भाषण सुना, उसके कुछ पहले हिन्दू महासभा के प्रतिनिधि और उसके भी पहले—मैं समझता हूं कल—मद्रास डी० एम० के० दल के प्रतिनिधि का भाषण सुना, जो सब आचार्य कृपालानी और उनके साथी जनरलों के पीछे एक के बाद एक लाइन में लगे हुए हैं। सच तो यह है कि ये सब जनरल ही हैं ; उनकी सेना में सिपाही तो हैं ही नहीं।

वास्तव में अविश्वास प्रस्ताव का ध्येय तो यह होता है, या होना चाहिये, कि सरकार को हटा दिया जाये और उसकी जगह खुद ले ली जाय। अब यह बात तो साफ़ जाहिर है कि मौजूदा हालत में ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। और इसलिये मैं समझता हूं कि यह वाद-विवाद, हालांकि बहुत सी बातों में यह दिलचस्प था और लाभदायक भी था, कुछ-कुछ अवास्तविक था। निजी रूप से मैंने इस प्रस्ताव का और इस वाद-विवाद का स्वागत किया है और लगभग मैंने यह अनुभव किया है कि यह अच्छी बात होगी अगर समय समय पर इस प्रकार के इम्तिहान लिये जायें।

†**श्री त्यागी** : नहीं, नहीं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जैसा कि मैंने कहा है मैंने विपक्षी सदस्यों के भाषणों को आदर के साथ सुना है और मैंने इस बात को समझने की कोशिश की है कि उनकी क्या परेशानियां हैं। कुछ बातें मैं जानता था। लेकिन फिर भी, इन अलग-अलग दलों के सदस्यों के इस विचित्र तरीके से एक साथ मिल जाने का क्या कारण है ? यह बात तो जाहिर ही है कि जिस बात से वे लोग मिल कर एक हो गये हैं वह नकारात्मक है, इसका कोई रचनात्मक पहलू नहीं है। इसका कारण सरकार से; हमारी सरकार से नफरत ही नहीं है, लेकिन, शायद, अगर मैं ऐसा कह सकूं—और मुझे ऐसा कहते हुए अफसोस होता हैं—तो यह मेरे खिलाफ सरकार का नेता होने के रूप में और दूसरे रूप में, एक निजी मामला है। मेरा मतलब यह नहीं है कि सब लोगों का यही विचार है। निश्चय ही यह एक नकारात्मक मामला है जो उन्हें साथ-साथ लाया। यह बात विरोधी पक्ष की ताकत को छीन लेती है, उसे कम कर देती हैं। आखिर वे चाहते क्या हैं?—उनका कुछ तो मतलब होना ही चाहिये;

---

†मूल अंग्रेजी में

इस सरकार को हटाना ; और उसकी भी उन्हें उम्मीद नहीं है। इसलिये असल में इसका मतलब यह निकलता है। उनके दिल गुस्से की और नफरत की भावनाओं से भरे हुए थे और वे जोरदार भाषा में अपनी बात कहना चाहते थे। अन्त में इसका यही मतलब निकलता है।

मैं यह बात मानता हूं, और मैं यह बहुत आदर के साथ कहता हूं कि सदस्यों ने, विरोधी दलों के नेताओं ने जिनमें इस प्रस्ताव को पेश करने वाले माननीय सदस्य भी शामिल हैं, इस प्रस्ताव के साथ इन्साफ नहीं किया है। और अपने साथ भी नहीं किया है। उन्होंने जो आरोप लगाये है उनसे मुझे बहुत निराशा हुई है। मैं यह नहीं कहता कि वे सारे आरोप बेकार के हैं। उनके इस प्रहार को आप चार हिस्सों में बांट सकते हैं अर्थात् घरेलू नीति, विदेशी नीति, प्रतिरक्षा और आम भ्रष्टाचार इत्यादि। मैं यह नहीं कहता और कोई भी नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार एक ऐसा अहम मसला नहीं है जिसकी जांच न की जाये और जिसको खत्म नहीं किया जाये। उसके बारे में किसी भी तरह का मतभेद नहीं है। इसकी तादाद के बारे में मतभेद हो सकता है और शायद कभी-कभी इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और इस लिये शायद ऐसा वातावरण बन जाता है जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की जगह इसको एक प्रकार का लाइसेंस दे देता है।

अब हम देश की ऊंचे दर्जे की नीति के मसले पर चर्चा कर रहे हैं। चाहे सरकार आये या चली जाये, हमने जिन मसलों पर चर्चा की है वे देश के लिये बहुत महत्व के हैं। मैंने सोचा था कि वाद-विवाद में राज्य की नीति के ऊंचे मसलों पर बहस होगी। इसमें कोई शक नहीं कि कभी-कभी उनका जिक्र हुआ है। लेकिन आम तौर पर वाद-विवाद निजी बातों पर, निजी पसन्द और नापसन्द पर, निजी आलोचनाओं और प्रहारों पर ही चला हैं, जिसने इसकी शक्ति को बहुत कम कर दिया है। इससे सम्बन्ध रखने वाले लोगों को गुस्सा आ गया, यह दूसरी बात है। किन्तु यह संसद् के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अवसर था। और इसके अलावा कि मैं एक प्रधान मंत्री हूं, एक संसद शास्त्री के रूप में भी मुझे यह उम्मीद थी कि हम लोग, सभा के दोनों पक्षों के लोग, इस अवसर के लिये अपने को तैयार कर सकेंगे और उन अहम मसलों पर बहस कर सकेंगे जो आज हमारे देश के सामने हैं और साथ ही प्रसंगवश, उस बदकिस्मत सरकार पर भी बहस करेंगे जिसके हाथ में इन में से बहुत से मसले हैं, किन्तु इसके स्थान पर निजी लोगों की गलतियों पर ध्यान केन्द्रित करने से ऐसा लगता है कि, वाद-विवाद का स्तर गिर गया है।

तीन माननीय सदस्य, अभी नये-नये आये हैं, जिनके भाषणों को मैंने सावधानी से सुना है, दिलचस्पी से सुना है—आचार्य कृपालानी, श्री मी० रू० मसानी और डा० लोहिया—ये लोग शायद अभी भी उप-चुनावों में हुई अपनी जीत से कुछ उत्तेजित थे और शायद वह समझते थे कि वे इस सरकार पर और जो इसमें काम करते हैं उन पर मजबूत हमला कर सकेंग।

डा० लोहिया ने बार-बार मेरा जिक्र कर के मेरी इज्जत बढ़ायी है। अपने बारे में बहस करने की मेरी इच्छा नहीं है, वह मेरे लिये ठीक नहीं है, कुछ भी हो, ऐसा करना एक बुरी बात होगी। लेकिन यह बात वाद-विवाद को गिरा कर बहुत नीचे बाजारू-स्तर पर ले आई है मैं समझता हूं कि १७ वर्ष बाद यहां संसद् में डा० लोहिया से मेरी मुलाकात हुई है। मुझ ठीक-ठीक तारीख याद नहीं है, लेकिन शायद आखिरी बार मैं उनसे १७ वर्ष पहले मिला था। और मेरे मन में उनके बारे में ऐसे विचार थे कि जब मैंने उनकी बातें सुनीं तो मुझे बहुत निराशा हुई। उन्होंने अपने साथ इंसाफ नहीं किया। मुझे उनसे अच्छे मुहावरों और निजी आक्षपों के अलावा कहीं और अच्छी बातों की आशा थी।

हमारे सामने भारत के भविष्य का प्रश्न था, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रश्न नहीं था, जो इस समय सरकारी पद पर हैं। हम लोग चले जायेंगे, अगर इस अविश्वास प्रस्ताव से नहीं गये तो भी चले जायेंगे, समय आने पर हम चले जायेंगे, और

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दूसरे लोग हमारी जगह पर आयेंगे। यह हो सकता है--मुझे भविष्य का पता नहीं है--कि दूसरी पार्टी आ जाये। मुझे ऐसा लगा कि ऐसे मौके पर, इस प्रकार की छोटी और तंग-दिल बातें करना ठीक नहीं है। फिर भी, यह देखना हरेक सदस्य का काम है कि वह कैसे बोले, और अपने मामले को कैसे सामने रखे, किन्तु इससे मुख्य मसले पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। जब हम वास्तव में देश के भाग्य, देश की स्वतन्त्रता, देश की समृद्धि और दूसरे मामलों के विषय में बातें कर रहे हैं तब इसे निजी आलोचना और अपशब्दों के स्तर पर ले आना अच्छा नहीं है।

इस वाद-विवाद के बीच में सदस्य इन चार दिनों में, अधिक नहीं, किन्तु कभी, उत्तेजित हो उठ थे।

मैं ऐसी कोई बात कहने की कोशिश नहीं करूंगा जिससे लोग उत्तेजित हो जायें। असल में, स्वाभाविक ही है कि मैं ऐसी बातें कह सकता हूं जिसे लोग पसन्द न करें। यह अनिवार्य है। किन्तु मेरी एसी इच्छा नहीं है कि वाद-विवाद के इस अन्तिम समय पर क्षोभ अथवा गुस्सा उत्पन्न हो।

इसलिये इस विवाद में मुझे एक इस बात से निराशा हुई, और जो कई प्रकार से सहायक भी हुई, कि इसमें जैसी कि हमें आशा थी, और जिसके विषय में सरकार असफल रही है, व्यापक दृष्टिकोण का अभाव है। कोई एसी बात होती जो वाद-विवाद के स्तर को ऊंचा करती, लोगों के विचारों का स्तर ऊंचा करती। हमारी असफलताओं को भी इसी व्यापक दृष्टिकोण से संबंधित किया जाता, कि हमें यह अपनाना चाहिये या हम से इसे अपनाने की आशा की जाती है। लेकिन मुश्किल से ही व्यापक दृष्टिकोण का कहीं जिक्र किया गया। बहुत वर्ष पहले जब हम में से बहुत से लोग, हमारी ही तरफ के नहीं बल्कि हमारी दूसरी ओर बैठे हुए सदस्य भी, गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग ले रहे थे, तब हमारे सामने हमेशा एक व्यापक दृष्टिकोण था, केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने का ही नहीं, किन्तु और भी कुछ हम में से बहुतों के सामने था। एक सामाजिक उद्देश्य था, भविष्य का दृश्य हमारे सामने था जिसे हम ने बनाना था, और जो हमें एक प्रकार की शक्ति देता था, बलिदान करने की कुछ भावना उत्पन्न करता था। अब शायद यह सच है कि हम में से बहुत से लोग अपने को भूल चुके हैं, रोजमर्रा की तुच्छ बातों और तुच्छ राजनीति में फंस गये हैं। चाहे हम सरकार में हैं अथवा विरोधी पक्ष में वह व्यापक दृष्टिकोण हमारे सामने से गायब हो गया है या कभी कभी हमें इसकी झलक मिलती है। और फिर भी पूर्ण भारत ने प्रगति करनी है, जैसा कि हम सब चाहते हैं तो इसे अपने सामने भविष्य के दृष्टिकोण को रखना होगा, हमेशा इसके बारे में सोचना होगा और हमेशा अपने वर्तमान के कार्यों को इस दृष्टि से देखना होगा कि वे उस दृष्टिकोण के कहां तक समीप आते हैं। किन्तु वह देश जो दूरदर्शी नहीं होता धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जो देश आगे के बारे में ठीक प्रकार से नहीं सोच सकता निश्चय ही समाप्त हो जाता है, किन्तु जो देश बिल्कुल भी नहीं सोचता वह धीरे धीरे अपनी शक्तियों का ह्रास करता है और अन्ततः उसका बिल्कुल ही विनाश हो जाता है। मैं नहीं जानता कि भारत का विनाश हो जायेगा। पिछले पांच हजार वर्षों अथवा इससे अधिक के काल में भी इसका विनाश नहीं हुआ, किन्तु यह दोनों के बीच की स्थिति है कि यह जीवित है। मगर मैं यह नहीं चाहता कि भारत केवल जीवित रहे, मैं चाहता हूं कि यह पूरी तरह समृद्ध हो। मैं चाहता हूं कि यह उन्नति करे। मैं चाहता हूं कि भारत की जनता हर तरह फले-फूले, केवल भौतिक, आर्थिक रूप में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, बौद्धिक, नैतिक और दूसरे रूप में भी फले-फूले। इसे दुनिया से बहुत कुछ सीखना है और दुनिया को बहुत कुछ देना है क्योंकि मुझे विश्वास रहा है, मुझे अब भी विश्वास है, कि भारत के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो वह दुनिया को दे सकता है, हालांकि इसे शेष दुनिया से बहुत कुछ सीखना भी पड़ेगा

इसलिये इस वाद विवाद में, मुझे यह कहते हुए अफसोस हैं, इस व्यापक दृष्टिकोण का जिसकी हम से आशा की जाती थी, कोई जिक्र नहीं किया। इस दृष्टिकोण से देखना अथवा मैं यह कहूंगा कि इन चीजों के आर्थिक पहलू, सामाजिक पहलू, योजना सम्बन्धी पहलू, भावी योजना के पहलू—इन चीज़ों को किसी विशेष दृष्टिकोण से देखना—यह योजना का मूल आधार है—हम किस ओर बढ़ रहे हैं और किस प्रकार बढ़ रहे हैं, इन बातों का देखना।

श्री मसानी ने आर्थिक मामलों के सम्बन्ध में अपने विचार सामने रखे और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस तरह की बातें कह सकता है, जैसी उन्होंने कहीं। इस में बुद्धिमानी की कोई बात नहीं है। आजकल की दुनिया को, अर्थशास्त्र को जैसा कि इसे आजकल समझा जाता है, उन्होंने नहीं समझा। उन्होंने कहा: एक इस्पात संयंत्र क्यों चालू किया जाये? यह और भी अधिक आश्चर्य की बात थी; इस को सुनना मेरा दुर्भाग्य नहीं था। उन्हें क्या आशा है? कि हम उसे न चालू करें; हमें छोटे उद्योग चालू करते चाहियें? मैं छोट उद्योगों के पक्ष में हूं। हमें ऐसे कारखाने चालू नहीं करने चाहियें जिन में बहुत अधिक पूंजी लग, और इसलिये हमें इस प्रकार आगे बढ़ना चाहिये। किन्तु छोटे उद्योगों के लिये मशीनें कहां से आयेंगी? हम उन्हें जर्मनी, जापान, रूस, जहां से हमारा मन चाहे मंगा सकते है। किन्तु हम इनके बदले में उन देशों को बहुत सा रुपया देंगे और इसी तरह देते रहेंगे। क्या इस देश में इस प्रकार उद्योग फैलाने के बारे में कोई सोच सकता है? किसी भी देश में इस प्रकार उद्योगों को नहीं फैलाया गया। अगर आप उद्योगों को फैलाना चाहते हैं, जैसी कि हमारी इच्छा है, तो यह जरूरी है कि औद्योगिक आधार बनाया जाये। केवल उद्योगों को फैलाने के अलावा, हमारी शक्ति के लिये, सैनिक शक्ति के लिये, प्रतिरक्षा की शक्ति के लिये यह जरूरी हैं कि हम औद्योगिक आधार बनायें। हमारे सामने आज यही परेशानी है। हमारे पास इस देश में आदमियों की, मजबूत आदमियों की, बहादुर आदमियों की कमी नहीं है लेकिन जब आजकल के हथियारों को चलाने का, आजकल के उद्योग का और ऐसी ही दूसरी बातों का सवाल आता है तो अन्त में यह सारे मजबूत आदमी अधिक फायदे के साबित नहीं होते। इसलिये, मैं कहता हूं कि बिना औद्योगिक आधार के आप भारत में आजाद भी नहीं रह सकते। आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिना औद्योगिक आधार के। आप देश में उद्योग नहीं फैला सकते। और औद्योगिक आधार का मतलब है मूल उद्योग, आरम्भिक उद्योग, भारी उद्योग और इसी तरह के और उद्योग। जैसे ही यह उद्योग स्थापित हो जाते हैं, छोटे उद्योग, इन्हीं में से निकलते हैं और हम तेजी से आगे बढ़ते है। अगर आप इन को स्थापित नहीं करते तो आप बंध जाते हैं, यही नहीं कि आप तेजी से आगे नहीं बढ़ते, आप दूसरे देशों के साथ बंध जाते हैं जो आर्थिक रूप से आप पर अधिकार कर लेते हैं, जो आप की उन्नति को रोक सकते हैं, जो आप की आगे बढ़ने की गति को मंद कर देते हैं। आप आर्थिक रूप में पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रहते। मैं ऐसे भविष्य की उम्मीद नहीं करता और मैं समझता हूं कि सभा भी इस प्रकार के भविष्य का स्वागत नहीं करेगी।

हम सच्ची स्वतंत्रता चाहते हैं। सच्ची स्वतंत्रता केवल राजनैतिक स्वतंत्रता नहीं है। यह दो अर्थों में आर्थिक स्वतंत्रता है। एक तो यह कि आप को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। आप उन के दोस्त हैं। उनका साथ देते हैं, आप उन से मदद लेते है किन्तु आप प्रतिरक्षा के या किसी और काम के लिये उन पर निर्भर नहीं रहते। और दूसरे प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रता से मेरा अर्थ है हमारे देश की विशाल जनता की आर्थिक स्वतंत्रता, यानि कि उन के जीवन-निर्वाह का स्तर ऊंचा हो, अच्छा जीवन बितायें, केवल भौतिक, आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और दूसरे रूप से भी। और जहां तक सम्भव हो भारत में विद्यमान इन बड़ी बड़ी भिन्नताओं को, यदि आप चाहें तो धीरे-धीरे, खत्म कर दिया जाये जो किसी भी देश के लिये किसी भी तरह लाभदायक नहीं है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उन को एक साथ दूर करना कठिन है। याद रखिये कि भारत में हमारी पृष्ठभूमि, हमारे महान् विचारों और दूसरी सब बातों के बावजूद भी, अच्छी नहीं रही हैं। भारत की सामाजिक पृष्ठभूमि जिसके साथ हमें व्यवहार करना पड़ा था अच्छी नहीं थी, इस में जाति-भेद था और बहुत अधिक भिन्नतायें थीं, जो हमारे यहां के करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी है। और इसीलिये एक बड़ा काम जो हमें करना है, वह यह है कि उस पृष्ठभूमि को समाप्त कर दिया जाये; सोचने का ढंग और कहने का ढंग बदल दिया जाये। हमारे यह सोचने से कोई लाभ नहीं होगा कि हमारे महान् ग्रन्थ, महाभारत, रामायण और ऐसे ही अन्य ग्रन्थ, हमारे विचारों की और कामों की बुरी पृष्ठभूमि की बुराइयों पर पर्दा डाल सकेंगे। हम पिछड़े हुए हैं, अपने विचारों में पिछड़े हुए हैं, अपने जीवन में पिछड़े हुए हैं, रहन-सहन में, दूसरों से व्यवहार करने में पिछड़े हुए हैं। यह जाति की प्रथा और हरिजन, और दूसरी सब बातें, यह बुरी हैं। यह बातें भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के मार्ग में भी रुकावट डालती हैं। मैं जानता हूं कि यह बातें अब बदल रही हैं, और बदल जायेंगी। किन्तु हमें उस बुराई के बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिये जिसके विरुद्ध हमें लड़ना है। और यहां हमारे इस देश की समस्यायें, शायद और देशों की समस्याओं से, जिन्हें केवल एक ही बुराई—गरीबी की बुराई—से लड़ना होता है, ज्यादा गहरी, ज्यादा उलझी हुई हैं।

इसलिये अपने घरेलू मामलों में, आज नहीं, कम से कम ३० वर्ष हो गये—३० वर्ष से भी ज्यादा हो गये—जब इस कांग्रेस संगठन ने—और विरोधी पक्ष के कई सदस्य उस समय कांग्रेस संगठन में थे—एक कदम उठाया, जैसा राष्ट्रीय संगठन कभी नहीं करते, सामाजिक न्याय के किसी आदर्श के निर्माण के लिये, भूमि सुधार के लिये कदम उठाया और सरकारी क्षेत्र के निर्माण के बारे में भी कुछ किया। यह ३० वर्ष से भी अधिक की बातें हैं, यह बात करांची कांग्रेस की है। असल में, गांधी जी के विचार, हालांकि शायद उन्होंने आजकल की भाषा में इस बात को नहीं कहा, किन्तु उनके विचार केवल सामाजिक न्याय के ही बारे में नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार के बारे में भी थे। यह सब उन्हीं के विचार थे।

यह लाजिमी था कि कांग्रेस इस प्रकार की बातें सोचती, क्योंकि हम लोग जनता की पार्टी बन गये थे, हालांकि हम लोगों में मजदूर और किसान ही नहीं थे। हम लोग आम जनता से प्रभावित थे जो कांग्रेस के सदस्य बन गये और इसलिये हमें विशेषकर कृषि संबंधी सुधारों और अन्य बातों के बारे में सोचने के लिये मजबर होना पड़ा। धीरे धीरे हमारा यह विचार विकसित होता गया और अन्त में हम स्वतंत्र हुए और हम ने संविधान बनाया। इस में सामाजिक न्याय की बात है। इस में समाजवाद की बात नहीं है किन्तु वस्तुतः इस में समाजवाद की पृष्ठभूमि दी हुई है बाद में संसद् ने निश्चित रूप से समाजवाद के आदर्श को स्वीकार कर लिया और योजना आयोग ने भी कर लिया। अगर विरोधी पक्ष के कोई माननीय सदस्य हमारी इसलिये आलोचना करते कि हम ने समाजवाद की ओर बढ़ने में अधिक प्रगति नहीं की, तो मैं उन की बात मान लेता। हमने अधिक तेजी से प्रगति नहीं की। कई तरह के कारण थे जिनकी वजह से हमारी रफ्तार धीमी रही, कुछ हमारे बस के थे कुछ नहीं। किन्तु मुझे विश्वास है कि भारत के लिये कोई और रास्ता नहीं है, कोई भी दल हो, या न हो, कोई भी दल चाहे वह कुछ भी सोचे इस देश को समाजवाद की ओर बढ़ने से, जनतंत्रीय समाजवाद की ओर बढ़ने से, नहीं रोक सकता। शायद यही एक ऐसा देश है, मैं यह नहीं कहूंगा कि केवल यही ऐसा देश है, नहीं जानता—या यह कहिये कि यह प्रमुख देश है, जहां समाजवादी प्रजातंत्र का विचार सामने रखा गया और योजना द्वारा इसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। दूसरे देशों में भी योजनायें बनाई गई हैं, वे देश जनतंत्रीय नहीं हैं। दूसरे देश जो जनतंत्रीय हैं

उन्होंने योजना को स्वीकार नहीं किया। किन्तु दोनों को मिलाना एक विचित्र बात है। यह सच है कि योजना एक ऐसी चीज है जिसके बारे में इस समय हरेक आदमी बोलता है। किन्तु, धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिये अच्छी तरह सोच-विचार कर बनाये गये व्यवस्थित तरीके के रूप में और अपने सामने एक ध्येय रख कर जो कदम उठाने हैं, उनको निर्धारित करने के रूप में, योजना एक वैज्ञानिक किन्तु एक जटिल और मुश्किल कार्य है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि योजना का अर्थ बहुत सी बातों को, योजनाओं को और प्रस्तावों को, एक साथ मिलाकर रख देना ही है। उसी को वे लोग योजना कहते हैं। किन्तु योजना से इन बातों का कोई मतलब नहीं, ये योजना से बहुत दूर हैं। योजना का अर्थ है एक सीढी से दूसरी सीढी पर और अन्त में अपनी मंजिल पर पहुंचना। हो सकता है कि यह काम बिल्कुल सही ढंग से न हो, क्योंकि हालात बदलते हैं और दूसरे भी कई कारण होते हैं जिन में सब से बड़ा कारण मनुष्य स्वयं है, जिस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। यहां पर उपस्थित हम में से किसी के लिये भी ऐसा करना संभव नहीं है। संसद् किसी भी कानून द्वारा यह नहीं बता सकती कि ४४ करोड़ लोग किस ढंग से काम करेंगे। संसद् उन के काम करने की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है, उनकी सहायता कर सकती है और सलाह दे सकती है। किन्तु आप उन्हें कोई भी काम करने के लिये मजबूर नहीं कर सकते। मनुष्य का स्वभाव जैसा है, कम से कम एक जनतंत्रीय शासन में आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते।

इसलिये भारत ने यह बड़ा हिम्मत का काम आरम्भ किया और इस के द्वारा सारी दुनियां का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि यह कार्य एक महान कार्य था, विशेषकर जाति भेद और दूसरी भिन्नताओं की इस पृष्ठभूमि को देखते हुये जिस का हमें सामना करना पड़ा। अब हमें इस बारे में काम करते हुये १२ वर्ष या इस से भी ज्यादा हो गये हैं, धीरे धीरे हमने बहुत सी बातें सीखी हैं। मैं समझता हूं कि अब हम इस के बारे में उस समय से ज्यादा जानते हैं जब पहली योजना समाप्त होने के बाद हमने इसे आरंभ किया था। हमने सांख्यिकी के रूप में बहुत सी जानकारी इक्ट्ठी की और इसके अलावा अन्य प्रकार के विचारों की ओर सब प्रकार के लोगों से बहस करके भी जानकारी प्राप्त की। हमें इन बातों के विषय में दुनियां के लगभग सभी मुख्य देशों के लोगों से चर्चा करने का सौभाग्य भी मिला, जिनमें निश्चय ही यूरोप के देश अमरीका, रूस, जापान थे और एक बार हमने, मैं समझता हूं, कुछ चीनी लोगों से भी—वहां से २ या ३ विशेषज्ञ आये थे, स्कैन्डेवियन और यूगोस्लोविय से भी, अलग-अलग रूप में नहीं, सामहिक रूप में, चर्चा की। इस बारे में चर्चा करना दिलचस्प था रूस से आये हुये महानुभाव स्पष्टतः रूसी योजनाओं जैसी ही बातें सोच रहे थे; एक अमरीकी प्रोफेसर, या कुछ ऐसे ही महानभाव थे, जो अमरीका की पृष्ठभूमि के अनुसार ही सोचते थे एक आयर लड वासी थे, एक फ्रान्सीसी थे और एक जर्मन भी थे—हम लोग साथ साथ बैठे और अक्सर इस मसले पर उन से बहस की। यह एक असाधारण बात थी कि हालांकि उनके अलग अलग सैद्धांतिक दृष्टिकोण थे—मैंने ऐसा शब्द बोला है जो अक्सर बोला जाता है—किन्तु जब वे भारतीय स्थिति के नग्न सत्य के विषय में सोचने लगे तब यह यह एक आश्चर्य की बात थी कि वे आपस में कितने सहमत थे। कहीं-कहीं उन लोगों में आपस में मतभेद हुआ, लेकिन उन्होंने इस बातको समझा कि यहां उन लोगों के सैद्धांतिक विचारों के बारे में बहस करने का कोई लाभ नहीं है, उन्होंने यहां इस बारे में बहस की कि एक स्थिति का मुकाबला करने के लिये हमें क्या करना चाहिये। उन्होंने हजारों नक्शे तैयार किये और योजना आयोग के पास उनके द्वारा अलग-अलग और संयुक्त रूप में तैयार किये हुये नक्शे भरे पड़े हैं। यह एक विचित्र बात थी कि हमें क्या करना चाहिये इस बारे में वे लोग आपस में कितने सहमत थे, हालांकि एक साम्यवादी लाइन पर सोचता था, दूसरा एक प्रकार की समाजवादी लाइन पर और तीसरा पूंजीवादी लाइन पर। लेकिन अर्थशास्त्री होने के नाते उन्होंने समस्या को हाथ में लिया, उन्हें उसे सुलझाना था। वह उसी विचारपूर्ण योजना के निष्कर्ष पर पहुंचे, कि भारी उद्योगों पर बहुत अधिक जोर देना है और दूसरे हल्के उद्योग भी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

स्थापित करने है । सब से अधिक महत्वपूर्ण बिजली है । अगर मैं ऐसा कर सकता तो सारे देश में बिजली पर ही ध्यान केन्द्रित करता, यह समझते हुये कि बिजली के आने से दूसरी चीजें भी आ जायेंगी। इसलिये हमने इस का निर्माण किया । हमने गलतियां कीं । पहली बात जो हमारी समझ में आई वह यह थी कि अमरीका की या रूस की या किसी दूसरे देश की नकल करने की बात सोचने का कोई लाभ नहीं । भारत की अपनी निजी समस्यायें हैं । हम अमरीका से, रूस से, कुछ सीख सकते हैं, हमें सीखना भी चाहिये । लेकिन भारत की आर्थिक समस्यायें दूसरे ही प्रकार की हैं । हमारे कालेजों में, मुझे इस समय की जानकारी नहीं हैं, लेकिन कुछ वर्ष पहले अमरीका और इंग्लैंड की आर्थिक पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं । इनका कोई भी लाभ नहीं था क्योंकि ये देश, कम या अधिक, एक समृद्ध समाज की समस्याओं के बारे में ही सोचते थे जबकि हमारा देश एक अत्यन्त गरीब देश था । और हमें उन किताबों से अर्थशास्त्र की शिक्षा लेनी थी जो समृद्ध समाज के के बारे में थी । इसका अधिक लाभ नहीं था । यह सच था कि इन से कुछ शिक्षा मिलती थी । इसलिये धीरे-धीरे यह विचार उत्पन्न हुआ, और मैं समझता हूं कि यह हाल ही में उत्पन्न हुआ है कि अर्थशास्त्र की शिक्षा भारत के दृष्टिकोण से ही दी जाये, रूस या अमरीका के दृष्टिकोण से नहीं । उन से हम कुछ सीख अवश्य सकते हैं क्योंकि उनका अनुभव बहुत समृद्ध है । इसलिये हम धीरे-धीरे आगे बढ़े । हम हमेशा यह समझते हैं कि मूल विषय कृषि उत्पादन का विकास ही है । यह आधारभूत विषय हैं, क्योंकि उद्योग को हम चाहे कितना ही महत्व क्यों न दें उद्यो अच्छी बात है—यदि उद्योग में अधिक उत्पादन न हो, तो जब तक हमें कृषि से अधिक उत्पादन न मिले, तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा । हम दूसरे देशों से दान ले कर जिन्दा नहीं रह सकते ।

हम खेती को काफी महत्व देते हैं । किन्तु खेती के साथ-साथ कई तरह के उद्योगों को भी आगे बढ़ना है । हमें लघु उद्योगों की आवश्यकता है, क्योंकि हमें एसे उद्योगों की आवश्यकता है जो कि खेती के कार्य में सहायक हों ।

मैं इस समय गांधी जी द्वारा कही गयी बातों का विचार नहीं कर रहा हूं । वैसे उन्होंने चरखे के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था वह ठीक है । यह कहना ठीक नहीं है कि हाथ से चरखा कातना मितव्यता नहीं है । देश के कुछ भागों में यह अभी भी उपयोगी है । मैं नहीं जानता कि आज से १५, २० वर्ष बाद क्या स्थिति होगी । मैं केवल हाथ से कातने वाले सूत की बात नहीं कह रहा हूं, मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि चाहे आप छोटे उद्योग चलायें या बड़े उद्योग चलायें किन्तु आप आधुनिकतम, नवीनतम उद्योगों का इस्तैमाल करें ।

इसी विचार के आधार पर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की । हमने पहली और दूसरी योजनायें बनायीं । इससे हमें कुछ ज्ञान हुआ, कुछ सबक भी मिले । तब हमने तीसरी योजना आरम्भ की । इसमें हमें आरम्भ से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अब स्थिति पहिले से कुछ अच्छी है । द्वितीय योजना पहली से बड़ी थी तथा उसमें पहली योजना से अधिक उपलब्धियां भी हुई । मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी योजना से देश में दूसरी योजना की अपेक्षा अधिक सुधार होगा । इस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं ।

इसलिये यदि आप इस स्थिति को व्यापक दृष्टि से देखें तो इससे हमें निराशा नहीं होगी । स्थिति काफी आशाजनक है । काफी कठिनाइयों और आबादी की समस्या के बावजूद भी यह स्थिति सन्तोषजनक है । मुझे पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे ।

भारत के चक्र की धुरी किसान है। उसका मानसिक दृष्टिकोण किस प्रकार बदला जाये और किस प्रकार उसको आधुनिक दृष्टिकोण प्रदान किया जाये, तथा उसे प्राचीनता के गहरे गर्त से किस प्रकार निकाल कर आधुनिक विचारधारा तथा आधुनिक औजारों का उपयोग करना सिखलाया जाये। इस उद्देश्य से हमने सामुदायिक विकास विभाग आरम्भ किया था। हम कुछ सीमा तक सफल भी हुए। लेकिन वे फिर दकियानूस बन कर रह गये। वास्तव में यहां की सरकार और विरोधी दल भी इसी बात के शिकार हैं। मैं नहीं कहता कि सरकार विरोधी दलों से अच्छी है। सरकार को आये दिन की मुश्किलों का मुकाबला करना होता है इसलिये उसके लिये कुछ सोचना जरूरी है। जबकि विरोधी दलों को सोचना नहीं होता वे सोचते भी हैं तो आलोचना करने और नारे लगाने के लिये इसी कारण वे जहां के तहां रहते हैं और आगे नहीं बढ़ते।

मेरे सहयोगी वित्त मन्त्री और गृह मन्त्री ने अपने-अपने विभागों के बारे में वक्तव्य दिया और काफी आंकड़े वगैरह प्रस्तुत किये। मैं सभा के समक्ष उन बातों को दुहराना नहीं चाहता लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं—वह यह है कि—डा० राममनोहर लोहिया ने किसी बात का उल्लेख किया—उन्होंने हिसाब लगाया है कि देश की साठ प्रतिशत जनता की आय तीन आने प्रतिदिन है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने ये आंकड़े किस प्रकार एकत्र किये हैं। मुझे विश्वास है कि उन्होंने हिसाब लगाने में काफी गलती की है। उन्होंने कुल आय गलत बतायी है। उन्हें प्रतिव्यक्ति और प्रति परिवार की आय के सम्बन्ध में भ्रांति हो गयी है। अतः उन्होंने उसे पांच से भाग दिया है। मैं नहीं कह सकता कि यह वास्तव में क्या है? वह कम से कम इससे पांच गुनी होनी चाहिये।

†**श्री कृपालानी** : भूमिहीन किसानों को पन्द्रह आने प्रतिदिन नहीं मिलते हैं।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : श्री कृपालानी की बात देश के किसी विशेष भाग के लिये सही हो सकती है। तथापि उनका यह कहना है कि देश के २७ करोड़ व्यक्तियों की यह आय है। यह बात पुस्तकों में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर बिल्कुल गलत है।

डा० राममनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, क्या प्रधान मन्त्री ने हिसाब लगा लिया है कि मैं पांच गुना ज्यादा बता रहा हूं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां। जो गलती डा० लोहिया ने की है वह यह है कि पर कैपीटा इनकम को पर फैमिली कर दिया है। वह घबरा गए, और फैमिली को उन्होंने पांच का गिना और उस इनकम को पांच से डिवाइड कर दिया।

डा० राममनोहर लोहिया : अच्छा हिसाब लगा लीजिए कि २७ करोड़ आदमियों की आमदनी ३ आने प्रति आदमी के हिसाब से कितनी आती है और एक रुपए के हिसाब से कितनी आती है। इसमें प्रधान मन्त्री जी बड़ी भारी भूल कर रहे हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने हिसाब लगा लिया। इस बारे में मेरे पास एक इकानमिस्ट साहब का नोट है जो कि इस प्रकार है :

> "डा० लोहिया प्रति व्यक्ति २५ रु० मासिक की आय को परिवार की आय मान बैठे हैं उनके सारे निष्कर्ष इस भ्रांति पर आधारित हैं इसके परिणाम स्वरूप उन्हें गलत नतीजे प्राप्त हुए हैं।"

डा० राम मनोहर लोहिया : किस का नोट है?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : एक साहब का है।

डा० राम मनोहर लोहिया : तो उन साहब से शाम के वक्त बात कर लीजिएगा। आप बड़ा पछतायेंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पछतायेंगे।

†**डा० राम मनोहर लोहिया** : खेती करवाने का ज्ञान आपका बड़ा कम है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने गृहनीति के सम्बन्ध में सरकार का मुख्य रवैया बताने का प्रयत्न किया है। इस मुख्य रवैये के साथ साथ सैकड़ों आलोचनायें, गलतियां और इसके विभिन्न रुप हो सकते है। तथापि मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारी वास्तविक समस्या आर्थिक और सामाजिक है। हमने उसे उसी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की है। हम समस्याओं को पन्द्रह साल बाद के दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं। आचार्य रंगा आयोजन में विश्वास नहीं करते हैं इसलिये वे सोचते हैं कि हमने इसको मजाक बना रखा है। तथापि यदि वह तीसरी परियोजना का प्रतिवेदन पढ़ें तो उन्हें ज्ञात होगा कि हमारे विचार क्या हैं ? यदि वें दूसरे पत्रों का भी अध्ययन करें तो उन्हें और अधिक जानकारी प्राप्त हो जायेगी।

योजना के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसमें शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा तथा अन्य सामाजिक कार्यों से जनता की प्रगति होती है। देश में शिक्षा का काफी विकास हुआ है। इस समय स्कूल जाने वाले उम्र के ७० प्रतिशत बच्चे हैं तथा दो वर्ष में यह प्रतिशत ७६ प्रतिशत हो जायेगा। दुर्भाग्यवश आपात-काल तथा चीन से आये संकट के कारण हमारी प्रगति में बाधा पहुंची है।

यद्यपि भारत में कई ऐसी चीजें हैं जिनसे दु:ख होता है जैसे गरीबी, कष्ट इत्यादि। तथापि कई एसी भी चीजें हैं जो काफी उत्साहवर्द्धक हैं। भारत के जीवन से जड़ता चली गयी है या जा रही है। और यहां के जीवन में एक क्रान्ति आ रही है। भारत से गरीबी की भयावहता मिटती जा रही है। हम पुरानी लीक से बाहर निकल रहे हैं और हमें विश्वास है कि परिवर्तन की गति अधिकाधिक तेज होती जायेगी।

यह सारी बातें लोकतन्त्र के आधार पर प्राप्त की गयी हैं। अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा होना भी लोकतन्त्र प्रणाली का ही जीता जागता सबत है। हमारे लिये यह अच्छा होगा कि हम एशिया के दूसरे देशों की ओर भी देखें। विशेषत: नवस्वतन्त्र देशों से अपना मुकाबला करें कि वे क्या कर रहे हैं और हमने क्या किया है ? उनमें से बहुत थोड़े ही लोकतन्त्र पर कायम हैं। हमें यह देखना चाहिये कि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या कार्य किया है। मैं भारत की चीन से तुलना नहीं कर सकता क्योंकि मैं चीन के बारे में काफी नहीं जानता और चीन के बारे में जो जानकारी दी जाती है वह पर-स्पर विरोधी होती हैं। तथापि प्रगति के लिये उन्होंने जो कीमत दी है वह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के रूप में बहुत महंगी पड़ी है। चीन के अलावा जब हम अन्य देशों से मुकाबला करते हैं तो हमारी प्रगति काफी उत्साहवर्धक रही है। हम जर्मनी, रूस और जापान से अपनी प्रगति की तुलना नहीं कर सकते हैं। श्री मसानी ने जर्मनी के चमत्कार की बात कही है। तथापि यह स्मरण रखना चाहिये कि जर्मनी युद्ध के पूर्व औद्योगिक रूप से बहुत विकसित था तथा वहां का लगभग हर व्यक्ति एक इंजीनियर था। इसलिये युद्धोत्तर पुनर्निर्माण करते समय उनके पास आरम्भ करने के लिये काफी सामग्री थी। जापान और रूस ने भी यही किया। क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि औद्योगिक थी और यह प्रशिक्षित व्यक्ति थे। हमारी पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है। तथापि हम भी ऐसी पृष्ठभूमि निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं आंशिक रूप से हम ऐसा कर भी चुके हैं। इसलिये गरीबी के बावजूद भी, कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर काफी लोक

†मूल अंग्रेजी में

कल्याण कार्य हुआ है। यह बात उनके खाने से ही स्पष्ट हो जाती है आज वे पहली से अधिक और अच्छा खाना खाते हैं। अच्छे मकानों में रहते हैं। स्कल तथा स्वास्थ्य सुविधायें बढ़ती जा रही हैं। कुछ व्यक्ति इसे भारत का चमत्कार कहने लगे हैं। वे उन विकास कार्यों की बातें करते हैं जो कि पिछले बारह वर्षों में हुये हैं और जो भविष्य के विकास कार्यों की बुनियाद है।

हमें सदैव कुछ चुनना होता है चाहे हम वर्तमान के लाभ को चुनें। प्रश्न यह है कि हम आज कुछ लाभ देना चाहते हैं या इसे कल या परसों के लिये रखना चाहते हैं। देश के दृष्टिकोण से हम रुपया व्यय करके आज भी उसे कुछ लाभ पहुंचा सकते हैं। तथापि हमें आज और कल के लाभ के बीच कुछ संतुलन स्थापित करना है। भारी उद्योगों से हमें भविष्य में लाभ होगा। भले ही उससे कुछ लाभ आज भी प्राप्त हो रहा है। तथापि इसका फल कुछ वर्षों बाद ही प्राप्त होता है।

इसलिये आर्थिक विकास की पहली सीढ़ी कृषि का आधुनिकीकरण है। जिससे कि गांवों के व्यक्तियों को नये औजार और नये तरीकों का विकास करना सिखलाया जाये। इस साथ-साथ हमें बुनियादी भारी उद्योगों की स्थापना कर औद्योगिक आधार भी तैयार करना है। सबसे अधिक आवश्यक बात यह है कि हमें विद्युत् शक्ति का निर्माण करना है माध्यमिक और छोटे उद्योग इसके साथ आते हैं।

यदि आप पंजाब जायें तो ज्ञात होगा कि वहां औद्योगिक क्रांति आ रही है। जहां तक प्रतिव्यक्ति आय का प्रश्न है पंजाब सबसे समृद्धिशाली राज्य है। अमेरिकन यात्रियों का यहां तक अनुभव है कि जिस प्रकार तेजी से यहां औद्योगिक क्रान्ति हो रही है वह बहुत कुछ अमेरिका के कुछ हिस्सों से मिलती है। इस प्रकार से सभी बातें हो रही हैं।

तथापि हमें यह भी देखना है कि हम कल या परसों पर ही अधिक जोर न डालें। वह आदमी जिनको जीवन निर्वाह का न्यूनतम स्तर भी प्राप्त नहीं है उनका विचार करना होगा। हम सभी इस बात से सहमत हैं। यह संसाधनों को काम में लाने का जटिल प्रश्न है। हमारे कुछ सलाहकारों ने यह कहा है कि आज की चिन्ता न करके हमें केवल भविष्य की चिन्ता करनी चाहिये। ऐसा नहीं किया जा सकता तथापि यदि हम केवल आज की ही चिन्ता करेंगे तो हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि प्रत्येक योजना के पश्चात् से प्रगति की रफ्तार बढ़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी योजना के दौरान प्रगति दूसरी योजना की अपेक्षा काफी अधिक होगी। बुनियादी संभावनाओं के रूप में प्रगति बहुत अच्छी रही है। इस दौरान आबादी में २१ प्रतिशत की वृद्धि रही है तथापि हमारी राष्ट्रीय आय पिछले दस वर्षों में ४२ प्रतिशत बढ़ी है। यद्यपि इसे काफी नहीं कहा जा सकता तथापि यह इतनी बुरी भी नहीं है।

श्री एन्थनी ने उत्पादन के बारे में जिक्र किया और कहा कि आबादी की वृद्धि से इस का निराकरण हो जायेगा। तथापि मुख्य बात यह है कि भविष्य में तीव्र प्रगति की बुनियाद डाल दी गयी हैं। मैं आशा करता हूं कि तीसरी योजना के अन्त में अथवा चौथी योजना में हम बिना बाहर की सहायता के ही स्वयं बढ़ने योग्य हो जायेंगे।

माननीय खाद्य मंत्री ने कहा है कि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर ५२० लाख से ८०० लाख टन हो गया। मैं आशा करता हूं कि आगामी तीन वर्षों में यह बढ़ कर ९५० से १००० लाख टन हो जायेगा। औद्योगिक उत्पादन में काफी प्रगति हुई है। यही बात परिवहन और विद्युत् शक्तिके सम्बन्ध में भी लागू होती है।

टैक्नीकल शिक्षा में डिग्री स्तर पर १९५०–५१ में पहले केवल ४१०० व्यक्ति लिये जा सकते थे, अब १४,००० व्यक्ति लिये जा सकते हैं। १९६५–६६ तक यह संख्या २१,००० हो जायेगी।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

डिप्लोमा स्तर में ५,९०० व्यक्तियों से बढ़ कर २५,००० व्यक्ति लिये जाने लगे है। अब संख्या बढ़ कर ४६,००० हो जायेगी ।

आबादी के बारे में मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं। श्री एन्थनी ने यह सुझाव दिया है कि हमें भी जापान की तरह भ्रूण हत्याओं को प्रोत्साहन देना चाहिये। तथापि मैं बता दूं कि जापान में भी इसका समर्थन नहीं हुआ है क्योंकि इससे माता के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव नहीं होता है। समस्त साक्ष्यों की जांच करने के पश्चात् श्रीमती रामा राव समिति ने भी इसके विरुद्ध मत व्यक्त किया था। वस्तुतः दूसरे तरीकों का भारत में प्रचार बढ़ता जा रहा है। गांव तथा नगरों में तीन हजार परिवार नियोजन चिकित्सालय खुल गये है। स्वेच्छा से वंध्यकरण की प्रगति आशा से बहुत अधिक हुई है। फरवरी, १९६३ तक ३३४, ४७७ व्यक्तियों ने अपना बन्धीकरण करवाया है। यह संख्या चाहे बहुत बड़ी नहीं है तथापि उनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। हमारे विचार से भ्रूण हत्या से यह तरीका अधिक अच्छा है ।

मुझे गुटों में शामिल न होने की नीति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिये क्योंकि श्री कृष्ण मेनन ने इस पर बड़ी योग्यता से प्रकाश डाला है। तथापि मैं आचार्य कृपलानी से केवल यह बात कहना चाहता हूं कि क्या उनका पंचशील को वाहियात कहना उचित है। मैं उन से यह पूछना चाहता हूं कि पंचशील में कौनसी बात वाहियात है। उस का पहला सिद्धान्त स्वतन्त्रता है। दूसरा आक्रमण न करना, तीसरा हस्तक्षेप न करना ?

मुझे उन के 'वाहियात (नानसेंस) शब्द सुन कर आश्चर्य हुआ। क्योंकि पंचशील अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों की बुनियाद है। दूसरे जितने प्रकार के संबंध होते है उन से झगड़े संघर्ष और युद्ध उत्पन्न होता है चीन के पंचशील भंग करने के अर्थ यह नहीं है कि पंचशील में कोई बुराई है। गलती चीन की है इसके लिये पंचशील को दोष देना ठीक नहीं है ।

मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि पंचशील का सिद्धान्त ठीक है इस का क्रियान्वयन एक पक्ष द्वारा गलत हो सकता है। इसकी परीक्षा की जा सकती है। मेरे विचार से यह सिद्धान्त सही ही नहीं है अपितु एक सम्य सिद्धान्त है। और जब तक दो देश एक दूसरे के शत्रु नहीं हों, सिद्धान्त कायम रहने चाहियें। कुछ अंशों तक चीन और रूस के बीचका संघर्ष इस बात पर आधारित है। रूस शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास रखता है तथा चीन इस सिद्धान्त पर विश्वास नहीं रखता है। निसंदेह इसके पीछ कई राष्ट्रीय कारण भी हैं।

मुझे एक बात और कहनी है। आचार्य कृपालानी तथा कई अन्य सदस्यों ने यह बात कही हैं कि मैंने संसद् से चीन के आक्रमण की बात बहुत समय तक छुपाये रखी। मैं इस संबंध में लोक सभा में पहले भी कह चुका हूं और मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि यह मेरे भाषणों और उत्तरों से ज्ञात हो जायेगी। यह बात नितान्त गलत है। वस्तुतः १९५८ के अन्त में हमने पहली बार अक्साई चीन में सड़क निर्माण के बारे में सुना था। हम नहीं जानते थे कि ऐसा कहां किया जा रहा है। हमने दो विभिन्न प्रकार के दलों को इसका पता लगाने के लिये भेजा कि यह सड़क हमारे राज्य क्षेत्र में बनी है या बाहर। क्योंकि अक्साई चिन सड़क उस के आगे भी जाती है। उन को वापस आने में महीनों लगे क्योंकि यह वास्तविक पर्वतीय अभियान था। इन में से एक दल तो कुछ महीनों बाद वापस आ गया और दूसरे को चीनियों ने गिरफ्तार कर लिया। इस में कई महीने लग गये। हमने चीनियों को लिखा कि हमने कुछ व्यक्तियों को अपने राज्य क्षेत्र में भेजा है क्या वे उन के बारे में कुछ जानते हैं। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि हां वे जानते हैं। उन्होंने हमारे राज्य क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था इस से हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। किन्तु हम तुम्हारे मित्र हैं अतः हम उन्हें छोड़ रहे हैं। इस प्रकार हमें पहली बार अक्साई चिन सड़क के निर्माण के बारे में पहिली पक्की खबर मिली। यह १९५८ की बात है ।

अक्टूबर, १९५८ को हम ने इस सम्बन्ध में चीन सरकार को एक विरोध पत्र भेजा इसी समय १९५८ के अन्त में और १९५९ के आरम्भ में तिब्बत ने चीन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तिब्बत से बहुत से शरणार्थी आये तथा दलाई लामा भी आये। हम ने चीन को बाद में जो पत्र भेजे उन में हमने इन्हीं बातों को काफी म.त्व दिया। तथापि अक्साई चिन सड़क के बारे में सदैव लिखा जाता रहा।

हम ने संसद् को सब से पहले १९५९ में बताया मुझे वह सही तारीख याद नहीं है। यह कहा जा सकता है कि हम ने उन्हें तीन या चार महीनों बाद बताया। हम उन के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे जैसे ही उत्तर आया और तिब्बत में विद्रो. इत्यादि की खबरें मिली हम ने संसद् को य. जानकारी दी। इस में कोई विलम्ब नहीं हुआ वस्तुतः संसद् में कुछ छिपाने की हमारी कोई इच्छा नहीं थी।

श्री कृपलानी ने कहा हैं कि हमें चीन के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ देने चाहियें। उन्हों ने कहा कि हम युद्ध की घोषणा क्यों नहीं कर देते। हमारे लिये ऐसा करना मूर्खता होगी। इस से हमें किसी बात में सहायता नहीं मिलेगी इस के विपरीत हमें कई बातों में अड़चनें पैदा होंगी। इस से हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं को सुदृढ़ बनाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। हम अपनी पूरी कोशिश से उसमें लगे हुए हैं। तथापि साथ साथ हम ने शान्तिपूर्ण बातचीत के लिये भी अपने मार्ग खुले रखने चाहियें। किन्तु ऐसा समझौता प्रतिष्ठा के अनुरूप और हमारे विचारों के अनुरूप होना चाहिये।

श्री कृपलानी ने हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में भी कुछ कहा है। मैंने प्रतिरक्षा मंत्री से एक नोट तैयार करने को कहा था। मैं इस नोट को यहां पढ़ता हूं। क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो कुछ मैं ने कहा था वह सही था।

"श्री कृपलानी ने यह आरोप लगाया कि चीनी सेनाओं को बाहर खदेड़ने की घोषणा प्रधान मंत्री द्वारा लंका जाते समय, बिना नेफा के प्रभारी सैनिक अधिकारियों के, परामर्श से की गयी। यह एक राजनैतिक निर्णय था। यह आश्चर्य की बात है कि युद्ध क्षेत्र संबंधी निर्णय सैनिक मुख्यालय से परामर्श किये बिना नागरिकों द्वारा किये गये। उन्हों ने कहा कि सरकार नेफा जांच आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित करे क्योंकि जनता को यह विश्वास करने के पूरे कारण हैं कि देश के साथ विश्वासघात किया गया है।

सुरक्षा की दृष्टि तथा गोपनीय महत्व के होने के कारण यह जांच प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किया जायगा। किन्तु प्रतिरक्षा मंत्री उस सीमा जहां तक वह यह जानकारी दे सकते हैं सभा में इस सत्र में अपना वक्तव्य देंगे।

श्री कृपलानी ने जो आरोप लगाये हैं वे निराधार हैं। म.त्वपूर्ण विषयों पर निर्णय--चीन के आक्रमण होने पर हमें क्या करना होगा य. एक म.त्वपूर्ण निर्णय था--दिल्ली में ही किया जा सकता था। इस संबंध में एक निर्णय नहीं करना था अपितु जैसे जैसे स्थिति का विकास होता गया कई निर्णय करने पड़े। सरकार ने यह निर्णय मुख्य सेनाध्यक्षों द्वारा तथा ज्येष्ठ सेना अधिकारियों की विशेषज्ञ सला. के अनुसार किय। य. बात विशषतः उस निर्णय पर लागू होती है जो कि अक्टूबर नवम्बर में सेना को नेफा की अग्रिम चौकियों से ह.टा लेने के सम्बन्ध में किया गया। यद्यपि कुछ विशेष प्रकार के निर्णय सेना द्वारा ही किये जा सकते हैं तथापि य. कहना गलत हैं कि य निर्णय बिना सेना के उपयुक्त अधिकारियों की राय के ही किये गये। विश्वासघात का आरोप निराधार है।"

उक्त नोट मुझे प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा दिया गया था। वस्तुतः लंका जाते समय मुझे से संवाद-दाताओं ने सीमान्त स्थिति के बारे में प्रश्न किया था। मैंने उन्हें बताया कि हम उन्हें बाहर खदेड़ेंगे। वस्तुतः सैनिक दृष्टि से यही हमारा निर्णय था। उस समय कोई तारीख निश्चित नहीं की गयी थी उस समय मैं यही बात कह सकता था मैं ने और कोई बात बताने से इन्कार कर दिया था।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : समाचार पत्रों में यह संवाद प्रकाशित हुआ था कि सेना को चीनियों को नेफा से खदेड़ने के आदेश दे दिये गये थे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ऐसा हो सकता है । हम ने सेना से उन्हें बाहर खदेड़ने को कहा था ।

†**श्री कृपालानी** : आप ने सेना को आदेश दे दिया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे कथन का यह तात्पर्य है कि यह आकस्मिक प्रेरणा नहीं थी । यह सेनाध्यक्षों की बात चीत और उन की सलाह का परिणाम था ।

श्री कृष्ण मेनन ने इस विषय पर प्रकाश डाला था कि हमें किस प्रकार की सेना विरासत में मिली थी । सिपाहियों की दृष्टि से यह अच्छी सेना थी, किन्तु यह आधुनिक हथियारों से लैस सेना नहीं थी । हमने उस आधुनिक हथियारों से लैस करने की पूरी कोशिश की । यदि हम सारी सेना को अधुनिक हथियारों से लैस करें तो इसमें १००० करोड़ रुपय लगेंगे । वस्तुतः कई बार हमारे ऊपर यह दबाव डाला गया कि हम इस पर काफी व्यय नहीं कर रहे हैं । वित्त मंत्री यह बात भली भांति जानते हैं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ने अधिक व्यय करने के लिये बार बार मांग की तथापि हम ने उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया । क्योंकि जो व्यय मांगे गये थे वे बहुत अधिक थे । यदि कोई अकस्मात ५००करोड़ रुपयों की मांग करे तो उसे पूरा करना असंभव हो जाता है । तथापि जब युद्ध होता है तो संसद् और जनता बिल्कुल दूसरे ढ़ंग से सोचती है । यही बात तब हुई थी । यदि युद्ध या अर्द्धयुद्ध की स्थिति नही होती तो जो कर वित्त मंत्री ने लगाये हैं उनका बहुत अधिक विरोध होता । तथापि सेना को आधुनिक सामान से लैस करने का कार्य आरम्भ कर दिया है ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं मुझे आचार्य कृपलानी को सेना के बारे में यह कहते हुए सुन कर कि उन के पास जूते और कपड़े नहीं थे आश्चर्य हुआ कि जैसे हम ने उन्हें युद्ध भूमि में नंगा लड़ने को भेजा हो । यह बात मेरी समझ में नहीं आती । मेरे माननीय मित्र ने अपने भाषण में कहा कि उन के पास जूते और बूट नही हैं ।

†**श्री कृपालानी** : मेरे कथन का तात्पर्य यह था कि उन के पास पहाड़ों में काम में आने वाले बूट नहीं थे । यह मेरी शिकायत थी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन के पास सुदृढ़ बूट थे । निसंदेह बर्फ पर चलने के लिये आप को बर्फ के बूटों की आवश्यकता होती है ।

†**श्री कृपालानी** : मेरी शिकायत भी यही थी कि उन के पास बर्फ पर चलने वाले बूट नहीं थ ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रत्यक व्यक्ति के पास कम्बल, जूते और कपड़े थे । वस्तुतः बात यह हुई कि अधिक कम्बल नहीं ले गये क्योंकि उन्हें ले जाना पड़ता । इसलिये उन्होंने कहा "कि उन्हें हवाई जहाज से बाद से भेज दिया जाये" ।

† **श्री कृपालानी** : लेकिन सरकार की ओर से एक ज्ञापन निकाला गया था जिस में इन वस्तुओं जैसे कम्बलों, स्वैटरों इत्यादि की मांग की गई थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह इस कांड के बाद निकाली गयी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : आप बिल्कुल ठीक कह रहे है। हमने यह सामान न केवल सीमांत पर जाने वाले जवानों को दिया था बल्कि नये भरती हुए जवानों को भी दिया था क्योंकि नये लोग भी भरती हो रहे थे। तथापि सभी के पास तो कम्बल थे उन्हें दो कम्बल और भी दिये गये थे जिन्हें वह छोड़ गये थे क्योंकि वे उन्हें ले जाना नहीं चाहते थे और उन्होंने कहा था कि उन्हें हवाई जहाज से भेज दिया जाये।

पाकिस्तान के बारे में मैं ने कुछ नहीं कहा। वास्तव में माननीय सदस्यों ने पाकिस्तान के बारे में बहुत कम कहा है। केवल श्री राजगोपालाचारी की काश्मीर की पेशकश के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख अवश्य किया है। हमारी नीति इस बारे में स्पष्ट है कि यदि सम्भव हो तो पाकिस्तान से कोई समझौता कर लिया जाना चाहिए। इसमें कोई काश्मीर का प्रश्न अथवा अन्य कोई बात नहीं। एक ही बात है कि परस्पर जो खिंचाव चल रहा है उसे कुछ कम किया जाय और दोनों देशों के बीच सहयोग का वातावरण निर्माण किया जाय। और इसका कोई लक्ष्य नहीं।

विरोधी दल के एक सदस्य गैर जिम्मेदार तरीके से अखण्ड भारत की चर्चा कर रहे थे। वह यहां अपने किसी कार्यक्रम के बारे में कह रहे थे, परन्तु उन्हें ऐसी बातें यहां नहीं करनी चाहिए। यह बहुत ही हानिकारक है। यह मूर्खता ही नहीं, इससे नुक्सान होता है। इस से पाकिस्तान के लोग भयभीत हो उठते हैं। वे समझते हैं कि यहां के लोग पाकिस्तान को नष्ट कर देना चाहते हैं। यहां के लोग ऐसा बिलकुल नहीं चाहते हैं। न हम ऐसा कर ही सकते हैं। भारत ने कभी ऐसी बात की तो यह बहुत खतरनाक बात होगी। यह भारत को तबाह कर देगी, काश्मीर को तबाह कर देगी, और पाकिस्तान को तबाह कर देगी।

मैं यह महसूस करता हूं कि छोटे छोटे मामलों में हमने गलतियां की होंगी। परन्तु जिस दिन पाकिस्तान बना है, और काश्मीर का झगड़ा खड़ा हुआ है, हमने कोशिश की है कि कोई सुलह सफाई हो जाय। लेकिन इस तफसीहे का यह मतलब नहीं कि हम कोई बिलकुल गलत बात कर डालें, अपने नुक्ता नजर से, काश्मीर के नुक्ता नजर से, काश्मीर के लोगों के नुक्ता नजर से। और हम इस मतलब की कोशिशें अपने तरीके से जारी रखेंगे।

चीन के मामले में भी हम सम्मानपूर्वक समझौते का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहते हैं। इसमें देर हो, सवेर हो यह हमारे बस में नहीं।

हम आजकल एक अजीब दुनिया में रह रहे हैं। और अर्ज है कि हमारी विदेश नीति उसकी एक परीक्षा है। और उस से दुनिया में हमारी स्थिति चीन से अच्छी ही रही है। यह छोटी बात नहीं कि हमें अपने कार्य में रूस और अमरीका दोनों की सद्भावना प्राप्त है और वे हमें सहायता कर रहे हैं। रूस ने हमारी कई तरह से मदद की है, काश्मीर के मामले में वह हमारा बड़ा समर्थक रहा है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री १५ मिनट की अपनी तकरीर में जितनी निन्दा कर सकते थे, उन्होंने की है। मुझे उनको सुन कर हैरानी हुई और अफसोस भी। बात यह है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा उसका कोई आधार ही नहीं है। वह नाराज थे और भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। भ्रष्टाचार के बारे में कोई दो राय नहीं हैं, हम सब उस के लिए दुःखी हैं, यह हमारा सिर दर्द है कि आखिर कैसे इस से निपटा जाए। शायद यह लोकतंत्रीय प्रक्रिया का परिणाम हो। मुझे भय है कि यह नीचे गांवों तक भी पहुंच रहा है। यह तो बहुत ही अफसोसनाक बात होगी। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे। माननीय सदस्य बहुत सी बातें और शिकायतें मंत्रियों के बारे में भी सुन रहे हैं। बहुत सी इस तरह की शिकायतें मुझे भी भेजी जाती है। हम इसकी अच्छी छानबीन करते हैं।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

फिर जिस व्यक्ति के, मंत्री के, बारे शिकायत होती है उससे स्पष्टीकरण मांगते हैं। इस तरह अगर कोई सार की बात होती है तो पहले प्राइवेट जांच की जाती है। फिर यह फैसला किया जाता है अन्य प्रकार की जांच की जाय अथवा नहीं। दरअसल जितनी भी इस तरह की शिकायतें आई हैं, और जिनका जिक्र अकसर अखबारों में रहता हैं, जब पूरी तरह छानबीन करके देखा जाता तो कुछ भी नहीं होती। बेसिर पैर की बात होती है, और बढ़ा चढ़ा कर की गयी होती है वह।

जो लोग इन शिकायतों की छान बीन करते रहे हैं वे तटस्थ व्यक्ति होते हैं। कुछ एक शिकायत ऐसी भी हुई हैं, जिन्हें मैं खुद देख रहा हूं। सिराजुद्दीन का मामला है। मिस्टर दास ने जांच की है। चार पांच मामले अदालत में जा रहे हैं। उनमें यह मामला भी आ जायेगा। उड़ीसा के लोगों का इस सिराजुद्दीन वाले मामले से सम्बन्ध है। चाहिए तो यही था कि इस पर राज्य सरकार की कार्यवाही होनी चाहिए, फिर भी हमने सब कागजात मंगवाये हैं और वित्त मंत्री साहब ने और मैंने उन कागजों की छानबीन की है। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिन्हें लोक लेखा समिति के सुपुर्द किया गया था। पहले लोक लेखा समिति तथा विरोधी दल के नेता को। काम को मन्जूर करके, उन्होंने रद्द कर दिया, उन्होंने किया नहीं। और मेरे ख्याल में लोक लेखा समिति इस काम के लिए सबसे ज्यादा ठीक है। उसमें बहुत सी पार्टियों के मेम्बर हैं। अच्छा है वे इसकी छानबीन करे, इसका सरकारी धन से भी वास्ता है।

उड़ीसा के उपमुख्य मंत्री ने मुझे और गृह कार्य मंत्री को उस सब राशियों की सूची भेज दी है जो कि उन्होंने सिराजुद्दीन से ली हैं। उस वक्त वह मंत्री नहीं थे और उन्होंने कहा था :

> "यह राशि मैंने कांग्रेस के लिए ली थी और उन्होंने (सिराजुद्दीन) शायद ३ ००० अथवा ४ हजार रुपया मुझे भी भेजा था। मैंने इसे कांग्रेस के लिए भी खर्च किया और गरीब छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए भी खर्च किया।"

यह सब है और किताबों में यह सब दर्ज है। सवाल तो इतना ही है कि क्या ये राशियां ठीक ढंग से खर्च की गयी अथवा नहीं, और इसमें कोई छानबीन वाली बात नहीं थी। वह सब मानते थे और उस वक्त वह किसी मंत्रिमंडल में भी नहीं थे।

तो मेरा कहना है कि इन सब चीजों की छानबीन जितनी हमसे हो सकती है हम कर र हैं। परन्तु मुख्य बात यह है कि मुख्य समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या किया जाए अधिकारियों तथा पुलिस संस्थानों से भी मुझे रिपोर्ट आती है कि उन्होंने कितने मामलों का परीक्षण कर लिया है। कितने अदालत में गये हैं और कितनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है। यह अच्छी और सारवाली रिपोर्ट होती है। और इस तरह काफी लोगों को सजा मिल जाती है।

जैसा कि मैंने कहा कि जो भी मुमकिन है किया जायेगा। लेकिन शायद इस तरह से इस बीमारी का पूरी तरह इलाज नहीं हो सकेगा। इसमें तो हमें जनता और विरोधी दलों के सदस्यों के भी सहयोग की जरूरत है।

घर की बातें तो हुईं लेकिन मुझे चिन्ता सीमा के खतरे की है। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए और उसके लिए शक्ति संचय करना चाहिए। जैसे कि सब जानते हैं कि इस मामले में शक्ति सिर्फ हथियारों की या फौज की ही नहीं होती बल्कि लोगों के साहस की होती है, लोगों की एकता की होती है। हमने गत नवम्बर दिसम्बर और जनवरी में इस साहस और एकता के कुछ नजारे देखे थे। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को सोचे कि इस अविश्वास के प्रस्ताव से अथवा